

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 156 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
 सेंटरम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी सिबासिस दास
 पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नम्बर 801, सेंटरम हाऊस, सीएसटी रोड़, विद्यानगरी मार्ग,
 कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुम्बई-400098
 शाखा कार्यालय:- ऑफिस नम्बर एस-3, द्वितीय तल, जगदम्बा टावर, आम्रपाली
 सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. सुबे सिंह पुत्र मूलचन्द जाट, पट्टा नम्बर 20, बुक नम्बर 43, ढाणी गुमान सिंह की, ग्राम पंचायत गोडावास, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान) 332713
2. मनकोरी देवी पत्नी सुबे सिंह, पट्टा नम्बर 20, बुक नम्बर 43, ढाणी गुमान सिंह की, ग्राम पंचायत गोडावास, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान) 332713

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)


The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 11 अगस्त, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः सुबे सिंह पुत्र मूलचन्द जाट एवं मनकोरी देवी पत्नी सुबे सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुबे सिंह पुत्र मूलचन्द जाट के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 20, बुक नम्बर 43, ढाणी गुमान सिंह की, ग्राम पंचायत गोडावास, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं-


 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पूरब दिशा में ख्यालीराम, पूरण, शीशराम, केशव, बीरबल का बाडा, पश्चिम दिशा में आम रास्ता चौक, उत्तर दिशा में कैलाश/मूलाराम जाट के मकान एवं दक्षिण दिशा कुआं व शिव मन्दिर स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹6,16,511/- (अक्षरे रूपये छः लाख सोलह हजार पांच सौ ग्यारह)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.02.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.02.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **सुबे सिंह पुत्र मूलचन्द जाट** एवं **मनकोरी देवी पत्नी सुबे सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुबे सिंह पुत्र मूलचन्द जाट** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 20, बुक नम्बर 43, ढाणी गुमान सिंह की, ग्राम पंचायत गोडावास, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान)** में स्थित है। जिसका




(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में ख्यालीराम, पूरण, शीशराम, केशव, बीरबल का बाडा, पश्चिम दिशा में आम रास्ता चौक, उत्तर दिशा में कैलाश/मूलाराम जाट के मकान एवं दक्षिण दिशा कुआं व शिव मन्दिर स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **11 अगस्त, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर